न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी साँवर मल वर्मा, आई0ए0एस)

अपील संख्या 25/13 (अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट)

1. अशोक कुमार पुत्र गजाधर जाति ब्राह्मण निवासी अखैगढ तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. उगन्ती देवी पुत्री गजाधर पत्नी मोहनलाल पाण्डे निवासी कस्बा भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर
3. जानकी देवी पुत्री गजाधर पत्नी आनन्द स्वरूप निवासी बारौली तहसील वैर जिला भरतपुर
4. गुड्डी पुत्री गजाधर पत्नी राकेश जाति ब्राह्मण निवासी पाली तहसील महुआ जिला दौसा
5. असरफी देवी पत्नी गजाधर जाति ब्राह्मण निवासी अखैगढ तहसील नदबई जिला भरतपुर (मृतक)

..... अपीलाण्टस

बनाम

1. राहुल पुत्र शंभू जाति ब्राह्मण निवासी अखैगढ तहसील नदबई जिला भरतपुर नाबालिग व विलायत मुस0 राधा देवी वेवा शंभू माता खुद
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र उम्मेदीलाल जाति ब्राह्मण निवासी अखैगढ तहसील नदबई जिला भरतपुर

..... रैस्पोडेन्ट

उपस्थिति :–

श्री राजेन्द्र सिंह, शशि बंसल, एडवोकेट अपीलान्टस

श्री पुरूषोत्तम मुदगल, एडवोकेट रैस्पोडेंटस

निर्णय

दिनांक 07.06.2022

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार से है कि अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार नदबई द्वारा तस्दीक किये गये नामांतकरण संख्या 477 दिनांक 14.05.2004 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील इस आशय की की गयी की अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध व तथ्यों के होने के कारण निरस्तनीय है क्योंकि अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेश के निर्देशों की पालना नहीं की गयी। जबकि उक्त आदेश के अनुसार अपीलान्ट व रैस्पोडेंट को सुनवाई व साक्ष्य पेक्ष करने का पूर्ण अवसर देते हुये प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने व साक्ष्य पेश

7/6/22

सम्भागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय पारित किया है क्योंकि रैस्पोडेंट ने जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की हुई है। जिसमें सुनवाई तिथि 15.02.2013 थी। ऐसी स्थिति में जब मामला अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन था तो अदालत मातहत को उक्त प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं था। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध व क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश गोदनामा पंजीकृत होने के आधार पर नामांतकरण तस्दीक किया है। परन्तु गोदनामा पंजीकृत होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि वसीयत दत्तक गृहिता ने हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दत्तक पुत्र को गृहण किया है तथा प्राकृतिक माता पिता ने अपने पुत्र को गोद दिया है। इन समस्त तथ्यों को साबित करने का भार रैस्पोडेंट पर है परन्तु अदालत मातहत में रैस्पोडेंट ने कोई साक्ष्य साबित पेश नहीं की व न ही साक्षी से जिरह करने का कोई अवसर अपीलान्ट को दिया गया। इस प्रकार कानून के प्रावधानों का अनुसरण न करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि विधि सम्वत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि पूर्व में स्वीकार किये गये विवादित दाखिले खारिज की कार्यवाही को विवादित गोदनामा से किसी प्रकार से साबित नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गोदनामा के अटैस्टिंग गवाह के बयान करवाये गये हैं। इस गोदनामा पर केवल एक गवाह के हस्ताक्षर हैं जबकि मुताबिक कानूनन गोदनामा के कम से कम दो अटैस्टेड गवाहान होना आवश्यक है। अतः उक्त कथित गोदनामा कानून के अनुसार नहीं होने के कारण इस आधार पर खोला गया नामांतकरण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2012 व दाखिले खारिज संख्या 479 दिनांक 14.05.2004 ग्राम अखैगढ तहसील नदबई को निरस्त किया जावे तथा मृतक हितेश का विरासतन दाखिल खारिज अपीलान्ट व रैस्पोडेंट लक्ष्मीनारायण व मृतक शम्भू के वारिसान के नाम मुताबिक हिस्सा खोलने का आदेश दिया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेंट की तलबी जरिये समन की गयी तथा अपीलाधीन नामांतकरण संबंधी मूल पत्रावली तलब की गयी। रैस्पोडेंट की ओर से श्री पुरूषोत्तम मुदगल एडवोकेट उपस्थित हुये तथा अपीलाधीन नामांतकरण सम्बन्धी मूल पत्रावली तलब होकर प्राप्त हुई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय जो कि नामांतकरण संख्या 479 दिनांक 14.05.2004 के सम्बन्ध में दिनांक 25.12.2012 को दिया गया है विधि विरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है क्योंकि उक्त आदेश माननीय जिला कलक्टर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में दिये गये निर्णय जिसके द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया था, में दिये गये आदेश की पालना किये बिना व अपीलान्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बगैर पंजीकृत गोदनामा के आधार पर पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कृत गोदनामा के सम्बन्ध में भी विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। क्योंकि गोदनामा पर दो अटैस्टिंग गवाह होना आवश्यक है। परन्तु उक्त प्रकरण में गोदनामे पर मात्र 1 गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये हैं जो कि हितबद्ध पक्षकार है। अदालत मातहत द्वारा इसको आधार मानकर ही मनमर्जी से निर्णय पारित किया है जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2012 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गयी बहस का प्रत्युत्तर देते हुये वकील रैस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेज आदि के आधार पर उभय पक्षकारान को सुनवाई को उचित व पर्याप्त अवसर देने के बाद ही पारित किया गया है। जिसमें कोई अवैधानिकता व अनियमितता नहीं है। रैस्पोडेंट के पक्ष में विवादित भूमि के खातेदारों द्वारा विधिवत गोदनामा पंजीकृत करवाया गया था। इस पंजीकृत गोदनामा के आधार पर ही नामांतकरण खोला गया है। इस गोदनामा को न तो अपीलान्ट द्वारा किसी न्यायालय में चैलेंज किया गया है तथा न ही रद्द कराने की कार्यवाही की गयी है। ऐसी स्थिति में पंजीकृत गोदनामा के आधार पर की गयी कार्यवाही उचित है। वकील रैस्पोडेंट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से इस सम्बन्ध में एक दावा भी पेश किया था जो कि खारिज हो चुका है। इसी तरह अपीलान्ट की ओर से सिविल न्यायालय में भी दावा पेश किया गया था। जिसमें निर्णय दिनांक 10.04.2017 के द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में हुये गोदनामे को सही माना गया है। वकील रेस्पोडेंट ने यह भी तर्क दिया कि जिला कलक्टर द्वारा भी प्रकरण रिमाण्ड किया गया था इस आदेश में दिये गये निर्देश की पालना करते हुये अदालत मातहत ने उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अपीलान्ट की ओर से गलत तथ्यों पर अपील पेश की गयी है। जबकि अदालत मातहत ने पंजीकृत गोदनामा के सम्बन्ध में विस्तृत जांच करने के बाद ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2012 को पारित करते हुये नामांतकरण संख्या 479 दिनांक 14.05.2004 को बहाल रखा गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2012 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2012 में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है क्योंकि उक्त आदेश में विद्वान तहसीलदार ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि तहसीलदार नदबई द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 479 दिनांक 14.05.2004 के विरूद्ध जिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में दिनांक 07.05.2012 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय में पूर्व में भरे गये नामांतकरण को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। उक्त निर्णय की पालना में विद्वान तहसीलदार द्वारा उभय पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये जिसमें अपीलान्ट को भी नोटिस दिये गये तथा सीपीसी के प्रावधान अनुसार तामील भी करवाई गयी। परन्तु अपीलान्ट सुनवाई हेतु अदालत मातहत में उपस्थित नहीं हुये। इस पर अदालत मातहत ने रैस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब, हितेश का मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड गोदनामा की प्रति सरपंच ग्राम पंचायत अखैगड का प्रमाण पत्र आदि को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय विस्तृत तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। इसके अलावा विवादित भूमि के सम्बन्ध में पटवारी से भी रिपोर्ट ली गयी है। विद्वान तहसीलदार ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि नामांतकरण संख्या 479 रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर खोला गया है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जो रजिस्टर्ड गोदनामा में प्रतिकूल प्रभाव डाले। इसी प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जिला व सेशन न्यायाधीश भरतपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 99/2017 में पारित निर्णय दिनांक 10.4.2017 की प्रमाणित प्रति से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की गयी है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में भी ऐसा कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में मृतक द्वारा रैस्पोडेंट को गोद नहीं लिया हो अथवा गोदनामा पंजीबद्ध नहीं हुआ हो। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उक्त निर्णय जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना करते हुये उभय पक्षकारान को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर देने के बाद ही पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर, अपीलाधीन निर्णय 26.12.2012 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
समागीय आयुक्त,
भरतपुर

समागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर